न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

अपील सं0 79/2017 दौसा

शंकर पुत्र प्रभूदयाल पांचाल निवासी ग्राम बडागांव बगीची, थाना नांगलराजावतान, तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा ...अपी0

बनाम

प्रभूदयाल पुत्र दुर्गालाल जाति पांचाल निवासी बडागांव बगीची, थाना नांगल राजावतान, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ..रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 16 (1) माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व निर्णय दिनाकः 03.07.2017

व न्यायालय उप जिला कलेक्टर, नॉगल राजावतान

उपस्थित : 1 श्री मो0 आरीफ अधिवक्ता अपी0 पक्ष
2 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 पक्ष

निर्णय **दिनांक 06.02.2018**

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप जिला कलेक्टर, नांगलराजावतान ने अप्रार्थी शंकर को अन्तरिम भरण पोषण हेतु 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रुपये) मासिक भुगतान करने एवं प्रार्थी प्रभूदयाल के निवास का ताला खोलकर उसे सुपुर्द करानें एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने से प्रतिबन्धित रहने के आदेश प्रदान किये गये। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट शंकर द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में दलील है कि रेस्पो0 प्रभूदयाल ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय नांगलराजावतान, जिला दौसा के समक्ष अपीलांट व अपीलांट की पत्नि राजन्ती के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 व माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के तहत निहायत ही झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अपीलांट की पत्नि राजन्ती देवी की कृषि भूमि नेशनल हाइवे संख्या 11 ए विस्तार हेतु अवाप्त की गई है, उसका लगभग 40 लाख रूपया मुआवजा का उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां से किसी प्रकार का कोई स्टे उक्त कैस मे नही होने के बावजूद आज तक उपखण्ड अधिकारी के यहां से उक्त मुआवजा राशी रूकवा रखी है तथा उक्त कैस के माध्यम से अपीलांट को जेल भिजवाकर अपीलांट पर नाजायज दबाव बनाना चाहता है, इसलिये प्रत्यर्थी ने उक्त कैस किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर नांगलराजावतान के खिलाफ उक्त कैस में श्रीमान के समक्ष ट्रांसफर एप्लिकेशन पेंडिंग होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ कानून के विपरीत तरीके से बिना अन्तरिम गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र पेश हुए बिना ही मूल पत्रावली मे अपीलांट के पीछे से 3000/–रूपये अक्षरे तीन हजार रूपये मासिक गुजारा भत्ता का आदेश दिनांक 03.07.2017 को पारित कर दिया। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल पत्रावली में बिना अन्तरिम याचना के व अन्तरिम प्रा0 पत्र के बिना ही उक्त आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस में दलील है कि अप्रार्थी बडागांव बगीची पुलिस थाना व तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा का रहने वाला 70 वर्षीय अति वृद्ध व गरीब आदमी है जिसको

प्रार्थी आये दिन मारपीट करते है तथा अप्रार्थी का जीना हराम कर रखा है। अप्रार्थी ने 30,000/– रूपये लगा कर एक कमरा बनाया था जिसमें अप्रार्थी व अप्रार्थी की पत्नि निवास करते है, मगर प्रार्थी ने उक्त कमरे के ताला लगा दिया प्रार्थी का सम्पूर्ण सामान खाने पीने के बर्तन व कपडे व बिस्तर आदि उस कमरे मे बंद हो गये, प्रार्थी भूखा प्यासा दर दर की ठोकरे खाता फिर रहा है तथा ताला खोलने की कहते है तो जान से मारने पर आमादा हो जाता है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी व उसकी पत्नि की कोई देखभाल नही की जाती है व बीमार हो जाने पर दवा इलाज आदि की भी कोई व्यवस्था नही की जाती है व आये दिन झगडा मारपीट की जाती है। मारपीट की कई बार थाने में अप्रार्थी द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। इन सभी परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के तहत अन्तरिम आदेश प्रदान किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिन है न ही दफा–5 का प्रा0 पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है तथा अन्तरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 प्रभूदयाल की आयु 70 वर्ष होने के बारे में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया गया, जिसको अपीलांट ने भी स्वीकार किया है जिससे यह तो स्पष्ट है कि रेस्पो0 सीनियर सीटीजन है। अपीलांट द्वारा अपनें अपील मीमों व वरवक्त बहस कई ऐसे तथ्य उठाये गये है, जिनका इस अपील/प्रकरण से कोई संबंध ही नहीं है। मुख्य रुप से इस न्यायालय को मात्र यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमों के परिपेक्ष में है अथवा नहीं। सर्व प्रथम तो मियाद के बिंदु पर ही उक्त अपील निरस्त योग्य थी किंतु फिर भी न्याय के सिद्धांत का विस्तृत रुप से ध्यान रखते हुए इसे मैरिट पर ही तय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किया गया है और आज तक उस आदेश की अपीलांट ने पालना भी नहीं की है, जो भी अवमानना की श्रेणी में आता है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही नियमोचित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के तहत उनकी देखभाल एवं सेवा सुश्रूषा करना उनके पुत्र का कार्य है और उनकी सेवा नहीं करने पर सजा का भी प्रावधान है। बढती उम्र के पडाव के कारण उन्हें किसी सहारे की अत्यन्त आवश्यकता होती है और सहारा पुत्रों के अलावा अन्य किसी पर भी वैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए कानूनन माता पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी पुत्रों की ही है कि वे माता पिता की देखभाल एवं उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनके जीवन की रक्षा करें। किंतु इस मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पुत्र होते हुए भी उनकी वास्तविक रुप से देखभाल नहीं हो रही है और वे मानसिक रुप से परेशान है। क्योंकि उम्र के इस पडाव पर बच्चों का ही दायित्व है कि वे माता पिता की देखभाल व सेवा सुश्रूषा करें। ऐसी अवस्था में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है। अतः पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात व बहस उभय पक्ष से हम इस नतीजे पर पहुँचें है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.07.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 फरवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official